प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊः दिनांक 27 जुलाई, 2021

विषयः- जनपद प्रतापगढ में ई०वी०एम० मशीन के भण्डारण हेतु निर्माणाधीन वेयरहाउस/गोदाम एवं कार्यालय भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-595/सी0ई0ओ0-3-55/3-2012, दिनांक-13 अगस्त, 2020, पत्र संख्या-721/सी0ई0ओ0-3-55/3-2012, दिनांक-17 सितम्बर, 2020, पत्र संख्या-1159/सी0ई0ओ0-3-55/3-2012, दिनांक-21 दिसम्बर, 2020 व पत्र संख्या-216/सी0ई0ओ0-3-55/3-2012, दिनांक-04 मार्च, 2021 एवं पत्र संख्या-397/सी0ई0ओ0-3-55/3-2012, दिनांक-15 जून, 2021 तथा सम्बन्धित शासनादेश संख्या-946/61-2016, दिनांक-26 दिसम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक-26 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कुल धनराशि रू० 1,62,66,250/- को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए अवमुक्त की गयी थी। सम्प्रति आपके उपर्युक्त उल्लिखित पत्रों द्वारा प्रश्नगत परियोजना की मूल लागत/योजना के प्रकार एवं प्रसार में परिवर्तन होने के दृष्टिगत यथासंशोधित पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष पूर्व निर्गत धनराशि रू० 1,62,66,250/- को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत परियोजना को पूर्ण कराये जाने हेतु पी०एफ०ए०डी० द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू० 287.04 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तासी लाख चार हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 1,24,37,750/- (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख सैतीस हजार सात सौ पचास मात्र) को निर्गत करते हुए अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 एवं अन्य सुसंगत आदेशों तथा प्रश्नगत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मूल शासनादेश दिनांक 26.12.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा ।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रयोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा । परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु कार्यालय मुख्य निर्वचन अधिकारी वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा ।

(9) कार्यालय मुख्य निर्वचन अधिकारी द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग -2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

(10) आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाए तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जाय। उक्त कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(11) प्रायोजना हेतु जी०एस०टी० की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

(12) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्यों हेतु निर्माताओं प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे मेक माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है ।

(13) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय ।

(14) प्रायोजना प्रस्ताव में 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी का होगा।

(16) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्रभाग द्वारा एवं वित्तीय स्वीकृति/बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है।

(17) यथासंशोधित पुनरीक्षित आगणन की प्रति कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(18) पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नगत कार्य 06 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा तथा धनराशि का आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जायेगा। उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(20) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-ई0वी0एम0/वी0वी0पैट भण्डारण के लिए गोदाम निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अ०शा०संख्या वित्त ई०-12-63(ई०ओ०)/दस-2021, दिनांक-23 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्या-11/2021/472(1)/61-2021-946/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

(4) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3 ।

(6) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3 ।

(7) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है